(48

coop

Phone :- 0612-2219819
Fax :- 0612-2232377
E-mail :- biscomaun@gmail.co
info@biscomaun.co.in

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड
(बिस्कोमान)
बिहार एवं झारखण्ड
छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001

Ref. No. बैठक/225/एम-711 Date:- 27/09/2024

निबंधित

प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
बिस्कोमान, (बिहार–झारखण्ड)
पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यपालक
बिस्कोमान से सम्बद्ध योग्य सभी सहकारी समितियाँ।

विषय – बिस्कोमान के निदेशक पर्षद के निर्वाचन/गठन हेतु बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) से सम्बद्ध सहकारी समिति के प्रतिनिधि का नाम भेजने के संबंध में।

महाशय,

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार (Cooperative Election Authority) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक CEA/12011/25/2024 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा निदेशक पर्षद के निर्वाचन/गठन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है, जिसमें दिनांक 16.12.2024 को विशेष आम–सभा एवं निर्वाचन कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

2. उपरोक्त निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत बहुराज्य सहकारिता अधिनियम की धारा– 38(3) एवं बिस्कोमान की उपविधि–20 के प्रावधानों के आलोक में जिला स्तरीय डेलिगेटस के निर्वाचन एवं सामान्य निकाय के गठन हेतु आपके समिति के प्रतिनिधि का नाम प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी है।

बहुराज्य सहकारिता अधिनियम 2002 की धारा 38 (3) के प्रावधान निम्नवत है :–

"जहाँ किसी बहुराज्य सहकारी समिति के साधारण निकाय या बोर्ड की किसी बैठक में किसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति का प्रतिनिधितव किया जाना है, वहाँ ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठक में केवल सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक या बोर्ड के सदस्य के माध्यम से किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा सदस्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जहाँ किसी भी कारण से ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति का कोई बोर्ड नहीं है, वहाँ ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के प्रशासक के माध्यम से चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।"

3. अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में तत्संबंधी प्रतिनिधि के लिए समिति के प्रतिनिधि का नाम, प्रबंध समिति के अद्यतन निर्वाचन प्रमाण–पत्र एवं समिति का अद्यतन प्रस्ताव संलग्न विहित प्रपत्र में बिस्कोमान मुख्यालय में दिनांक 19.10.2024 तक भेज दें। समिति का प्रस्ताव एवं हस्ताक्षर को जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी, पटना–सह–निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के द्वारा उक्त की स्वीकृति प्राप्त है।

नोट :– समिति द्वारा विहित प्रपत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रति जो जिला सहकारिता पदाधिकारी / सहायक निबंधक, स0स0 / प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक / प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी में से किन्हीं एक द्वारा।
2. समिति का अद्यतन निर्वाचन का परिणाम पत्र (Result sheet)।
3. प्रतिनिधि का आधार कार्ड की छाया प्रति।

प्रतिनिधित्व हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने का पता

प्रबंध निदेशक,
बिस्कोमान टॉवर (छठा तल),
पश्चिमी गाँधी मैदान,
पटना–800001 (बिहार)।

विश्वासभाजन

27.09.24

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक – बैठक/225/एम-711 दिनांक – 27/09/2024.

प्रतिलिपि –

1. सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, 9th Floor Tower, E-World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. केन्द्रीय निबंधक, सहयोग समितियाँ, 9th Floor Tower, E-World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 को सूचनार्थ प्रेषित।

27.09.24

प्रबंध निदेशक

M.K.

D:\Ruby Bhati\BISCOMAUN ELECTION\Letter 27-09-2024.docx

(117

बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड), पटना की सामान्य निकाय का गठन हेतु सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधि का नाम प्रेषित करने हेतु प्रपत्र।

समिति का पूरा नाम एवं पता ....

....

....

समिति का निवंधन संख्या ....

प्रतिनिधि का फोटो
(अभिप्रमाणित)

प्रस्ताव संख्या .... बैठक की तिथि........................

कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि श्री/श्रीमती ....

.... आयु......................... पिता/पति का नाम ....

....पदनाम–अध्यक्ष/कार्यकारिणीसदस्य/मुख्यकार्यपालक/प्रशासक

आवासीय पता ....

....

पिन कोड .... राज्य का नाम .... दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या .... को समिति/संघ की ओर से बिस्कोमान की सामान्य निकाय के गठन हेतु निर्वाचन कार्य में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। उन्हें निर्वाचन में भाग लेने, मतदान करने और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

प्रतिनिधि का हस्ताक्षर..........................

दिनांक ....

अध्यक्ष/कार्यकारिणी सदस्य/
मुख्य कार्यपालक/प्रशासक
(कार्यालय मुहर के साथ)

अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

(समिति का प्रस्ताव एवं प्रतिनिधि का हस्ताक्षर को जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक/प्रबंधक निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।)

Managing Director
Bihar State Co-operative Marketing Union Ltd.
PATNA-800001